राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 09] चौदहवीं विधान सभा के नवें सत्र का पहला दिवस [संख्या: 01

सोमवार,

23 अक्टूबर 2017

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: सबको दीपावली की शुभकामनाएं।

राष्ट्रीय गीत

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।
सुजलाम् सुफलाम् मलयज शीतलाम्।
शस्य श्यामलाम् मातरम्। वन्दे मातरम्।
शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनीम्।
फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम्।
सुहासिनीम् सुमधुर भाषिणीम्।
सुखदाम् वरदाम् मातरम्।
वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।

बधाई एवं आभार

रामनाथ कोविन्द, श्री, को भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन पर

सर्वप्रथम, दो राष्ट्रीय चुनाव हुए थे, राष्ट्रपति महोदय एवं उप राष्ट्रपति महोदय के। हमारे यहां पर ऐसी परम्परा रही है कि जब ये चुनाव हों तो पहली बार जब सदन मिलता है तो हम बधाई संदेश भेजते हैं और इसलिए मैं दोनों बधाई संदेश आपके सामने पढ़ता हूं और वह यहां से सर्वसम्मति से जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

राजस्थान विधान सभा का यह सदन भारत के राष्ट्रपति के पद पर श्री रामनाथ कोविन्द के निर्वाचन पर अपनी हार्दिक बधाई प्रेषित करता है।

(श्री अध्यक्ष)

वेंकैया नायडू, श्री, को भारत के उप राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन पर

राजस्थान विधान सभा का यह सदन भारत के उप राष्ट्रपति के पद पर श्री वेंकैया नायडू के निर्वाचन पर अपनी हार्दिक बधाई प्रेषित करता है।

अनुपस्थिति अनुमति

कल्याण सिंह चौहान, श्री सदस्य, को 23 अक्टूबर, 2017 से सत्रांत तक

मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री कल्याण सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा ने शारीरिक अस्वस्थता के कारण दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 से सत्रांत तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। सचिव, विधान सभा।

श्री रमेश (सपोटरा): 000

सदन पटल पर रखे गये पत्र

श्री सचिव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से चौदहवीं राजस्थान विधान सभा के विगत सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज़ पर रखता हूं जिन पर राष्ट्रपति/राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है।

राष्ट्रपति महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

(1) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015

(2) राजस्थान किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2017

श्री रमेश (सपोटरा): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। आप बैठ जाइये।

राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

श्री सचिव: (1) जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017

(2) राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017

(3) महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017

(4) महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2017

(5) मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017

श्री रमेश (सपोटरा): 000

श्री अध्यक्ष: मुझे पहले ही दिन सख्त होने के लिए मजबूर मत कीजिए। एक शब्द रिकार्ड पर नहीं जाना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष, आप इन्हें कंट्रोल कीजिए।

श्री सचिव: (6) राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर (संशोधन) विधेयक, 2017

(7) वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (संशोधन) विधेयक, 2017

(8) पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (संशोधन) विधेयक, 2017

श्री रमेश (सपोटरा): 000

श्री अध्यक्ष: इनका एक शब्द रिकार्ड पर नहीं आना चाहिए।

श्री सचिव: (9) हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर (निरसन) विधेयक, 2017

(10) राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2017

(11) राजस्थान नगरपालिका (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2017

(12) राजस्थान नगरपालिका (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2017

(13) राजस्थान नगरपालिका (पंचम संशोधन) विधेयक, 2017

(14) प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017

(श्री सचिव)

(15) महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर (संशोधन) विधेयक, 2017

(16) कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017

(17) राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2017

श्री रमेश (सपोटरा): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

श्री अध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष, मैं नहीं चाहता कि पहले ही दिन मुझे सख्त होना पड़े। आप अपने एमएलए को कंट्रोल कीजिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री सचिव: (18) गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा (संशोधन) विधेयक, 2017

(19) राजस्थान माल और सेवा कर विधेयक, 2017

(20) राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2017

(21) राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2017

(22) राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2017

(23) राजस्थान भामाशाह (लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं का सीधा अंतरण और सेवाओं का परिदान) विधेयक, 2017

(24) बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2017

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: नो, नो। एक शब्द अंकित नहीं होना चाहिए।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

श्री अध्यक्ष: एक शब्द अंकित नहीं होगा।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाइए। अधिकार के कुछ नियम हैं। एक शब्द रिकार्ड पर नहीं आना चाहिए। इनको +++ करने दो। ये +++ कर रहे हैं। ये विधान सभा में मेरी बिना आज्ञा के बोल रहे हैं। ये +++ है। इनको +++ करने दीजिए। इस +++ में कोई दम नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: बिना परमिशन के बोल रहे हैं। +++ कर रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

श्री अध्यक्ष: एक शब्द अंकित नहीं होगा।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: एक शब्द रिकार्ड पर नहीं जाना चाहिए। बिना परमिशन के जो भी बोलता है, उनका एक शब्द रिकार्ड पर नहीं जाना चाहिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): 000

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: एक शब्द अंकित नहीं होगा। श्री गुलाब चंद कटारिया।

अध्यादेश

दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 2017

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित अध्यादेश सदन की मेज पर रखता हूं। ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): 000

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): 1. दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 2017 (2017 का अध्यादेश संख्यांक-2) ...(व्यवधान)...

6] अनुपूरक अनुदान की मांग-23 अक्टूबर 2017-विधेयक का पुर:स्थापन (श्री गुलाबचन्द कटारिया)

दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 2017

2. दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 2017 (2017 का अध्यादेश संख्यांक-3) ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): 000

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): 000

श्री अध्यक्ष: वितीय कार्य। श्री राजपाल सिंह जी शेखावत। ...(व्यवधान)... बैठ जाइये, आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): 000 ...(व्यवधान)...

अनुपूरक अनुदान की मांग

अनुपूरक अनुदान की मांगों वर्ष 2017-2018 (प्रथम संकलन) का उपस्थापन

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगों वर्ष 2017-18 (प्रथम संकलन) का उप स्थापन करता हूं। ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री रमेश (सपोटरा): 000

श्री अध्यक्ष: श्री गुलाब चंद कटारिया। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): 000

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): 000

श्री अध्यक्ष: श्री गुलाब चंद कटारिया। ...(व्यवधान)...

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। ...(व्यवधान)...

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): 000 ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: +++ कर रहे हैं। ...(व्यवधान)... रिकार्ड पर नहीं जाए। ...(व्यवधान)... आफिशियल कार्य प्रणाली को ...(व्यवधान)... +++ कर रहे हैं ...(व्यवधान)... इनका रिकार्ड पर नहीं आए ...(व्यवधान)...

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): 000

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री, पुर:स्थापित कीजिए।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): 000

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): 000

श्री अध्यक्ष: पुर:स्थापित कीजिए।...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): 000

बहिर्गमन

(माननीय सदस्य श्री घनश्याम तिवाड़ी द्वारा बहिर्गमन)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): ...(व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर: स्थापित करता हूं। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 2017 (2017 का अध्यादेश संख्यांक -3) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं। ...(व्यवधान)...

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री अध्यक्ष: नो, पहले इनको चुप कराओ। ...(व्यवधान)... नो, एक भी शब्द नहीं जाएगा।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री अध्यक्ष: नो, नो ...(व्यवधान)...

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 000 ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: एक भी शब्द रिकार्ड पर नहीं जाएगा। ...(व्यवधान)...

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): 000

श्री अध्यक्ष: नो, नो ...(व्यवधान)...

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री अध्यक्ष: इनको चुप कीजिए पहले। ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़, (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000 ...(व्यवधान)...

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000 ...(व्यवधान)...

बहिर्गमन

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष: कर लो पूरी तरह। वापस मत आना। वापस मत आना, जाओ। एक मिनट मानिक जी, मैं यह कार्यक्रम पहले ले लूं।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

पुर:स्थापित कीजिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): श्रीमान, प्रश्न खड़ा कर रहा हूं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63 (1)

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मुझे व्यवस्था का प्रश्न उठाने दीजिए।

श्री अध्यक्ष: मैं आपको इसके बाद समय दूंगा। मानिक जी, आप बैठिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): 63(1) के अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 2017 (2017 के अध्यादेश संख्यांक-2) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड।

राजस्थान विधान सभा सदस्य (निरर्हता निवारण) विधेयक, 2017

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विधान सभा सदस्य (निरर्हता निवारण) विधेयक, 2017 ...(व्यवधान)... को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैं पाइंट आफ आर्डर उठा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: मैं आपको समय दूंगा। मानिक चन्द जी, यह प्रक्रिया पूरी होने दीजिए। आपको समय दूंगा। रिकार्ड पर नहीं जाए।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): 000

श्री अध्यक्ष: नहीं, मैं मौका दूंगा। पहले यह प्रक्रिया चल रही है। ...(व्यवधान)...

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): 000

श्री अध्यक्ष: सुन लेंगे, मैं आपकी बात सुनूंगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। विराजिए, आपकी बात जरूर सुनूगा।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा सदस्य (निरर्हता निवारण) विधेयक, 2017 को पुर: स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री, पुर:स्थापित कीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विधान सभा सदस्य (निरर्हता निवारण) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: डा. रामप्रताप।

राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्ध में कृषकों की सहभागिता (संशोधन) विधेयक, 2017

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्ध में कृषकों की सहभागिता (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्ध में कृषकों की सहभागिता (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री, विधेयक को पुर: स्थापित कीजिए।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्ध में कृषकों की सहभागिता (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। श्री राजपाल सिंह शेखावत।

राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) (संशोधन) विधेयक, 2017

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

कृपया पुर:स्थापित कीजिए।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री पुष्पेन्द्र सिंह।

राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व (संशोधन) विधेयक, 2017

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री, विधेयक को पुर: स्थापित भी करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करता हूं

श्री अध्यक्ष: शोकाभिव्यक्ति।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मुझे परमिशन प्रदान करेंगे?

श्री अध्यक्ष: हां, मैं आपको प्रदान करता हूं।

संवैधानिक प्रश्न

केंद्रीय कानून में संशोधन के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, मैं नम्रता से निवेदन करता हूं कि दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017 इस

(श्री मानिक चन्द सुराना)

सदन में प्रस्तुत किया गया है, मेरा निवेदन है कि यह केन्द्रीय कानून, क्रिमिनल प्रोसीजर को और आई पी सी दोनों को संशोधित करता है। यह संविधान में माना हुआ सिद्धांत है कि केन्द्रीय कानून को संशोधित करने के लिए राष्ट्रपति महोदय की इस बिल के साथ पूर्व इजाजत लगी हुई होनी चाहिए। यह बिल अध्यक्ष महोदय मेरे सामने है। यह बिल हमे सर्कुलेट किया गया, इसके साथ कल शाम तक, रात तक, इसके आर्डिनेंस जारी करने के कारण भी हमको नहीं भेजे गये। मूल बात यह है कि इस बिल में राष्ट्रपति की कोई सैंक्शन नहीं है।

मेरा निवेदन है कि इस संवैधानिक आपत्ति को, यह काला कानून है, वह तो बहस हम करेंगे ही करेंगे। इस बिल को लाने के लिए किसने इनको सलाह दी, गृह मंत्रीजी को किसने प्रेरित किया, यह बहुत रहस्य का विषय है। भारतीय जनता पार्टी यह ध्यान रखे कि एक साल बचा है चुनाव में और यह जन सेवकों की रक्षा के लिए, मजिस्ट्रेट और जुडीशियल आफिसर्स की रक्षा के लिए, जन प्रतिनिधियों में विधायक भी हैं, हम विधायक नहीं चाहते कि हमारी रक्षा आप करें, हम नहीं चाहते कि हमारी रक्षा की जाए। अगर हम कोई भ्रष्टाचार करते हैं तो उसको उजागर होने दीजिए। मजिस्ट्रेट को 156 (3) में, पुलिस को बेसिक पावर है जो सैंकड़ों सालों से है, जब से सीआरपीसी बनी है।

वे काग्निजेबल आफेंस का संज्ञान ले सकते हैं, इंवेस्टीगेट कर सकते हैं, और यही पावर मजिस्ट्रेट महोदय को है, जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हैं। मैं अर्ज करता हूं कि यदि इन पिछले 70-80 सालों में आसमान नहीं गिरा इस संशोधन के बिना, तो इन 13 महीनों में कौनसा आसमान गिरने वाला है। क्यों भारतीय जनता पार्टी अपने आपको स्वतंत्रता का विरोधी ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): यह डिस्कस के समय आएगा। जब इस पर चर्चा हो तब यह मुद्दे रखने की बात है। अभी तो यह रखने का समय है नहीं। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, ये उप मुख्य सचेतक आपकी अनुमति भी नहीं लेते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ निवेदन करने दीजिये। इमरजेंसी आपके ध्यान में है। इमरजेंसी के लिये हम कांग्रेस को दोषी मानते हैं और आज आप क्या कर रहे हैं। ये अघोषित इमरजेंसी लागू करके ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): यदि आप, जो काम मजिस्ट्रेट का है, जो काम पुलिस का है, वही एडमिनिस्ट्रेटिव पावर लेना चाहते हैं और उसकी स्वीकृति आप करना चाहते हैं तो इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती है। आप कानून-न्याय को, और एक्जीक्यूटिव एजेंसी दोनों को एक कर रहे हैं। मैं इसी आधार पर निवेदन करता हूं कि राष्ट्रपतिजी की सैंक्शन आये बिना हम इस बिल को आगे नहीं चलने देंगे। इस सदन में बहस नहीं होने देंगे। इसीलिये राष्ट्रपतिजी की सैंक्शन आपके पास हो तो सर्कुलेट कीजिये। यदि नहीं है तो आप उसको प्राप्त करिये और उसके बाद इस विधान सभा में लाइये। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अनुमति दी है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): प्रद्युम्न सिंहजी, अध्यक्ष महोदय ने मुझे टाइम दिया है। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, नियमों के तहत बिल पुरःस्थापित हुआ है। इनके पास समय है। ये अमैंडमेंट दें। इन पर आप बहस करवा देंगे तो हम प्रोपर समय पर उसका जवाब देंगे। इन्होंने एक वैधानिक सवाल खड़ा किया है, जिसका जवाब गृह मंत्रीजी अभी दे देंगे। मतलब व्यवस्था के प्रश्न में इतना स्कोप नहीं है कि आप पूरे बिल को एक साथ ही डिस्कस कर लें और एक साथ सारे माननीय

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सदस्य बोलना चालू कर दें। एक लिमिटेड बात इन्होंने कही है, उसका जवाब हम दे देंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): गृह मंत्रीजी को तो आर्डिनेंस का पता ही नहीं था, कब आर्डिनेंस आया। ये क्या जवाब देंगे? गृह मंत्रीजी बता सकते हैं कि क्या आर्डिनेंस लाये हैं? इनसे जवाब दिलवाइये।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): गृह मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। आप सुनिये। आपको कैसे पता चल गया कि जवाब नहीं था। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हमने सुना है, कि मुझे पता नहीं है ऐसा कोई काला कानून आया है क्या।

श्री अध्यक्ष: सुनिये। माननीय गृह मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विषय सदन के डिस्कशन के लिये आता है ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे परमीशन दी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): और यह सदन ही पास करेगा, तब ही यह कानून बनेगा। आज तो हमने आपके सामने रखा है। इसके मैरिट-डिमैरिट के लिये जब चर्चा में आये, आप अपने विषय को रखिये। यह हाउस है ही इसीलिये। अगर कहीं ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): गृह मंत्रीजी, यह कानून बन चुका है, अध्यादेश जारी हो चुका है। आप सदन को गुमराह कर रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उसमें अगर आपका कोई सुझाव आएगा ...(व्यवधान)... यह चर्चा के लिये सदन है न। यह चर्चा किसके लिये कर रहे हैं?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप पूरे सदन को गुमराह कर रहे हैं। आर्डिनेंस बन चुका है, 07 सितम्बर, 2017 को यह आर्डिनेंस बन

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

गया। आप आर्डिनेंस रख रहे हैं। आपको पता ही नहीं है। कानून तो हाउस बनायेगा। ...(व्यवधान)...

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आपकी दादागीरी थोड़ी चलेगी। आपकी मर्जी हो जब खड़े हों। बैठें, अभी सुनें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): हाउस की चर्चा के बाद अगर इसमें कोई कमी-खामी है तो हाउस बैठ करके विचार करेगा न। विचार लेने के लिये ही तो हाउस में रखा है। हमने पास थोड़े ही किया है। हाउस पास करेगा न। कम से कम इसके मैरिट-डिमैरिट पर जो भी आप कहना चाहेंगे, आपके सुझाव सुनेंगे और सुनने के बाद जो भी हमारे पास उत्तर होगा, वह देंगे। फिर बाद में हाउस पास करेगा तो कानून बनेगा।

श्री अध्यक्ष: मैं रुलिंग देता हूं। यह आवश्यक नहीं है कि ऐसे ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने समय दिया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): एक सैकिण्ड। अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था के प्रश्न के नाम पर लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक व्यवस्था उठाई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान अध्यक्षीय निर्णय की तरफ दिलाना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, पेज नम्बर 605।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रतीक्षा में खड़ा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): पेज नम्बर 604, अध्यक्ष महोदय, पेज नम्बर 604 में अध्यक्षीय व्यवस्था दी गयी है कि पुर:स्थापित की स्टेज पर किसी बिल में कभी वाद-विवाद नहीं किया जा सकता। इस पर मैं निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्षीय व्यवस्था विद्यमान है। यह पुर:स्थापित की स्टेज पर यह वाद-विवाद का विषय नहीं है। जब यह आएगा, पुर:स्थापित हो जाएगा, बिल बहस में आएगा, सरकार उत्तर दे देगी। मतलब बिना कारण से चाय के प्याले में तूफान खड़ा करना चाहते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने समय दिया था। मैं आपकी आई-कैच कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने मेरी रूलिंग की तरफ ध्यान दिलाया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं भी रूलिंग की ओर ही आपका ध्यान दिला रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आपकी कौनसी रूलिंग है? दीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, हां, अध्यक्ष महोदय, कृपया, कृपया।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं। कृपया तो है, पर कौनसी रूलिंग है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): 606 है।

श्री अध्यक्ष: क्या है उसमें? पढ़िये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप विराजिये तो सही।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आप खुद मुलाहिजा फर्मा लें। दो-दो रूलिंग्स हैं इसके अंदर। साफ रुलिंग है, मतलब किस बात पर, अध्यक्ष महोदय, किस बात की अनुमति दे रहे हैं? वैसे आसन सर्वोपरि है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपने मंत्री तो नहीं बनने दिया, लेकिन बोलने पर भी पाबंदी लगा रहे हो क्या? तिवाड़ीजी को मंत्री तो आपने नहीं बनने दिया। लेकिन बोलने पर भी आपत्ति लगा रहे हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): गोविन्दजी, आप अपना काम करिये। ...(व्यवधान)... मैं इनका हूं कि उनका हूं। ...(व्यवधान)... राठौड़ साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): तिवाड़ीजी भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के माननीय सदस्य हैं। ...(व्यवधान)... तिवाड़ीजी कांग्रेस के सदस्य नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य हैं। आप इन्हें डिक्टेट नहीं कर सकते। ये अभी भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): सदस्य किसी भी पार्टी का हो, पर जब आसन ...(व्यवधान)...

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): डोटासराजी, आप उनकी पैरवी कब से करने लगे हैं?

श्री घनश्याम (टोडाभीम): आसन ने जब उनको अनुमति दे दी तो उनको बोलने दीजिये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के अवसर पर ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, अगर आज मुझे परमीशन नहीं देंगे तो मैं धरने पर बैठूंगा यहां पर।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, आपकी मंशा आ गयी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अगर आप मुझे परमीशन नहीं देंगे तो मैं धरने पर बैठूंगा, मैं आपको बताता हूं।

श्री अध्यक्ष: बैठ जाइये, बैठ जाइये। हां, आ जाइये आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): फिर यह सत्तारूढ़ दल के लिए ठीक नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाइये, धरने पर बैठ जाइये। ...(व्यवधान)... माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुई ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): +++ पुन: बायकाट करता हूं। इस काले कानून के खिलाफ आपातकाल में लड़े थे और इस काले कानून के खिलाफ फिर लड़ेंगे। आप भी जेल में गये थे, आपको ध्यान होना चाहिये।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

श्री अध्यक्ष: शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुई इस सदन की सदस्य सुश्री कीर्तिकुमारी ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्या समझ रखा है आपने। देश को आप जेल में रख देंगे। सबका मुंह बंद कर देंगे आप पुलिस के बल पर।

(माननीय सदस्य श्री घनश्याम तिवाड़ी द्वारा बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष: दिल्ली के पूर्व उप राज्यपाल मार्शल अर्जन सिंह, कर्नाटक के पूर्व मुख्य मंत्री श्री एन. धरम सिंह ...(व्यवधान)...

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, मैंने एक नोटिस नियम 127 के तहत दिया है। सदन के दो विधायक निलम्बित हैं। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सदस्य, शोकाभिव्यक्ति का क्षण है। शोकाभिव्यक्ति हो रही है।

श्री अध्यक्ष: सांसद एवं पूर्व विधायक श्री सांवरलाल जाट और श्री चांदनाथ तथा इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री घनश्याम जैन, श्री जुगल काबरा, श्री शम्भूदयाल बड़गूजर, राव श्री कमलेन्द्र सिंह, श्री मेघराज तावड़, श्रीमती सूरज देवी, श्री प्रभुलाल शर्मा तथा श्री किशन भाटी के प्रति संवदेना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैंने इसके तहत दिया है। माननीय हनुमान बेनीवाल निष्कासित हैं, मनोज न्यांगली, बसपा से भी निष्कासित हैं। मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, नियम 127 के तहत आप मेरी बात सुनें। ...(व्यवधान)...

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सदस्य विराजिये, आसन पैरों पर है। ...(व्यवधान)... आसन पैरों पर है।

श्री अध्यक्ष: जो मैं बोल रहा हूं वही रिकार्ड हो, और कुछ भी रिकार्ड नहीं हो।

कीर्ति कुमारी, सुश्री, सदस्या

विधायक सुश्री कीर्ति कुमारी का जन्म 13 अगस्त, 1967 को कोटा में हुआ। आपने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.ए. की उपाधि प्राप्त की।

सुश्री कीर्ति कुमारी वर्तमान चौदहवीं राजस्थान विधान सभा में माण्डलगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की विधायक रहीं। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप राजकीय उपक्रम समिति तथा नियम समिति की सदस्य रहीं। सरल व्यक्तित्व की धनी सुश्री कीर्ति कुमारी सदन में प्रभावी ढंग से अपनी बात रखते हुए अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहीं।

सुश्री कीर्ति कुमारी अपने सार्वजनिक जीवन में वर्ष 2000 से 2005 तक जिला परिषद, भीलवाड़ा की सदस्य रहीं। आप कृषि मण्डी, माण्डलगढ़ की निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुईं। भारतीय जनता पार्टी से सम्बद्ध रहीं सुश्री कीर्ति कुमारी पार्टी की भीलवाड़ा इकाई की जिला उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष तथा प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य भी रहीं।

सुश्री कीर्ति कुमारी का दिनांक 28 अगस्त, 2017 को निधन हो गया।

(श्री अध्यक्ष)

अर्जन सिंह, मार्शल, पूर्व उप राज्यपाल, दिल्ली

दिल्ली के पूर्व उप राज्यपाल मार्शल अर्जन सिंह का जन्म 15 अप्रैल, 1919 को पाकिस्तान के लायलपुर में हुआ। आप 19 वर्ष की आयु में ही एम्पायर पायलट ट्रेनिंग कोर्स के लिए चुन लिये गये थे।

सैन्य सेवा में रहते हुए मार्शल अर्जन सिंह ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय रूप से भाग लिया। आपने 15 अगस्त, 1947 को लाल किले पर आयोजित समारोह में सौ से अधिक विमानों के फ्लाई पास्ट का नेतृत्व किया। आप वर्ष 1949 से 1952 तथा 1957 से 1961 तक वायु सेना की दिल्ली स्थित पश्चिमी कमान के कमांडिंग ऑफिसर रहे। इसके पश्चात् आप डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ एवं वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ रहे। वर्ष 1964 में आप चीफ ऑफ एयर स्टाफ बनाये गये तथा आपको एयर मार्शल की रैंक प्रदान की गयी। वर्ष 1965 के भारत-पाक युद्ध में आपके नेतृत्व में भारतीय वायु सेना ने शौर्य का प्रदर्शन किया। आप भारत के पहले एयर चीफ मार्शल बनाये गये। मार्शल अर्जन सिंह को पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया।

मार्शल अर्जन सिंह दिसम्बर, 1989 से दिसम्बर, 1990 तक दिल्ली के उप राज्यपाल रहे। आप स्विट्जरलैण्ड में भारत के राजदूत भी रहे।

मार्शल अर्जन सिंह का दिनांक 16 सितम्बर, 2017 को निधन हो गया।

एन.धरम सिंह, श्री, पूर्व मुख्य मंत्री, कर्नाटक

कर्नाटक के पूर्व मुख्य मंत्री श्री एन. धरम सिंह का जन्म 25 दिसम्बर, 1936 को कर्नाटक के गुलबर्गा जिले के नेलोगी ग्राम में हुआ। आपने एम.ए. एवं एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री एन. धरम सिंह वर्ष 1981 से 2004 तक सात बार कर्नाटक विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। इस दौरान आप कर्नाटक सरकार में गृह, आबकारी, राजस्व, सामाजिक न्याय, सार्वजनिक निर्माण विभाग सहित अनेक विभागों के मंत्री रहे। दीर्घ संसदीय अनुभव रखने वाले श्री एन.धरम सिंह दिनांक 28 मई, 2004 से 02 फरवरी, 2006 तक कर्नाटक के मुख्य मंत्री भी रहे। आप सातवीं तथा पन्द्रहवीं लोक सभा के सदस्य रहे। लोक सभा के कार्यकाल के दौरान आप राजकीय उपक्रम समिति एवं वित्त समिति के सदस्य रहे।

(श्री अध्यक्ष)

अपने सार्वजनिक जीवन में श्री सिंह वर्ष 1968 से 1980 तक तीन बार गुलबर्गा नगर परिषद के सभापति रहे।

श्री एन. धरम सिंह का दिनांक 27 जुलाई, 2017 को निधन हो गया।

सांवरलाल जाट, श्री, सांसद

सांसद एवं पूर्व विधायक श्री सांवरलाल जाट का जन्म 01 जनवरी, 1955 को अजमेर जिले के गोपालपुरा ग्राम में हुआ। आपने एम.कॉम तथा पीएच.डी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री सांवरलाल जाट नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं तथा चौदहवीं विधान सभा में विधायक रहे। आप नौवीं से बारहवीं विधान सभा तक भिनाय तथा चौदहवीं विधान सभा में नसीराबाद निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। श्री जाट नौवीं विधान सभा में जनता दल तथा दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं एवं चौदहवीं विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। आप वर्ष 1993 से 1998 तक सहायता एवं पुनर्वास विभाग के राज्य मंत्री तथा वर्ष 2003 से 2008 तक सिंचाई, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी तथा भू-जल विभाग के मंत्री भी रहे। श्री जाट वर्तमान सदन के भी सदस्य रहे तथा आप इस दौरान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, कृषि, सिंचित क्षेत्र, इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभागों के मंत्री रहे। आप अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति तथा पुस्तकालय समिति के सभापति भी रहे। कृषि उत्थान को समर्पित श्री जाट राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष रहे।

वर्तमान सोलहवीं लोक सभा के सांसद निर्वाचित होने के उपरांत आपने 29 मई, 2014 को इस विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया। कुशल प्रशासक रहे श्री जाट नवम्बर, 2014 से जुलाई, 2016 तक केन्द्रीय सरकार में जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय के राज्य मंत्री रहे। लोक सभा के कार्यकाल के दौरान आप जल संसाधन संबंधी स्थाई समिति के सदस्य भी रहे।

सरल व्यक्तित्व के धनी श्री जाट ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध रहे। आप ग्रामीण शोध एवं विकास परिषद् के अध्यक्ष रहे। ग्रामीण

(श्री अध्यक्ष)

विकास से संबंधित आपके अनेक लेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। श्री जाट राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में प्रोफेसर रहे तथा उनकी दो पुस्तकें भी प्रकाशित हुईं। अध्ययन में रुचि रखने वाले श्री जाट कॉलेज शिक्षा निदेशालय से भी संबद्ध रहे। श्री सांवरलाल जाट के निधन से प्रदेश ने एक किसान नेता खो दिया है।

श्री सांवरलाल जाट का दिनांक 09 अगस्त, 2017 को निधन हो गया।

चांदनाथ, श्री, सांसद

सांसद एवं पूर्व विधायक श्री चांदनाथ का जन्म 08 मई, 1955 को नई दिल्ली के बेगमपुर में हुआ। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.ए. (ऑनर्स) की उपाधि प्राप्त की।

श्री चांदनाथ बारहवीं राजस्थान विधान सभा के बहरोड़ निर्वाचन क्षेत्र के लिए हुए उप चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के सदस्य रहे। आप सोलहवीं लोक सभा के लिए अलवर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए। आप लोक सभा की मानव संसाधन विकास समिति तथा चिकित्सा एवं परिवार कल्याण संबंधी मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे।

अध्यात्म एवं सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले श्री चांदनाथ बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, रायपुर के कुलाधिपति, बाबा मस्तनाथ आयुर्वेद एवं शिक्षण संस्थान, अस्थल बोहर, रोहतक के अध्यक्ष रहे। आप योगी महासभा, हरियाणा के अध्यक्ष तथा अखिल भारतीय अवधूत भैरव बारहपंथी योगी महासभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी रहे। आपने अनेक रक्तदान एवं नेत्रदान शिविरों का आयोजन किया तथा कन्या भ्रूण हत्या के विरोध में सामाजिक जागरूकता हेतु कार्य किया। आपको इंदिरा गांधी सद्भावना पुरस्कार एवं गोल्ड स्टार मिलेनियम अवार्ड से सम्मानित किया गया। श्री चांदनाथ की अस्थल बोहर मठ का इतिहास, बाबा मस्तनाथ चरित्र, गुरु महिमा और भारत का गौरव शीर्षक से पुस्तकें प्रकाशित हुईं। आपने 'मस्तनाथ वाणी' मासिक पत्रिका का प्रकाशन भी किया।

(श्री अध्यक्ष)

श्री चांदनाथ का दिनांक 17 सितम्बर, 2017 को निधन हो गया।

घनश्याम जैन, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री घनश्याम जैन का जन्म 13 अप्रैल, 1940 को चित्तौड़गढ़ के बेगूं में हुआ। आपने राजस्थान विश्वविद्यालय से एम.ए.(इतिहास) की उपाधि प्राप्त की।

श्री घनश्याम जैन सातवीं तथा ग्यारहवीं विधान सभा में बेगूं निर्वाचन क्षेत्र से क्रमश: कांग्रेस (आई) तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप विशेषाधिकार समिति, जन लेखा समिति तथा खान विभाग की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे।

कांग्रेस से संबद्ध रहे श्री जैन जिला कांग्रेस कमेटी, चित्तौड़गढ़ के कोषाध्यक्ष एवं अध्यक्ष रहे। आप राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रहे। समाज सेवा में रुचि रखने वाले श्री जैन अनेक धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं के विभिन्न पदों पर रहे। आप खादी संस्थाओं से भी संबद्ध रहे।

श्री घनश्याम जैन का दिनांक 04 अक्टूबर, 2017 को निधन हो गया।

जुगल काबरा, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री जुगल काबरा का जन्म 08 जून, 1947 को हुआ। आपने एम.एससी., एलएल.बी. एवं डी.सी.एल.एल. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री जुगल काबरा ग्यारहवीं राजस्थान विधान सभा में जोधपुर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप गृह समिति तथा राजकीय उपक्रम समिति के सदस्य रहे।

श्री काबरा जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री तथा अध्यक्ष रहे। आप राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री भी रहे। आप जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर की सीनेट एवं सिंडीकेट के सदस्य रहे। सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले श्री काबरा अनेक सामाजिक संगठनों एवं व्यावसायिक संगठनों से संबद्ध रहे।

श्री जुगल काबरा का दिनांक 10 मई, 2017 को निधन हो गया।

(श्री अध्यक्ष)

शम्भूदयाल बड़गूजर, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री शम्भूदयाल बड़गूजर का जन्म 05 मार्च, 1953 को दौसा जिले के गुढ़ाकटला ग्राम में हुआ। आपने बी.ए. तथा एल.एल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर नौवीं तथा दसवीं विधान सभा में केकड़ी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। आप नौवीं विधान सभा में जनता दल तथा दसवीं विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, प्राक्कलन समिति 'क' तथा अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के सदस्य रहे।

श्री बड़गूजर अपने सार्वजनिक जीवन में पिछड़ाजन पंचायत के महामंत्री तथा जिला जन अभाव अभियोग निराकरण, विकास अधिकरण एवं जिला स्तरीय समितियों के सदस्य रहे। बुनकरों के उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहे श्री बड़गूजर राजस्थान बुनकर पंचायत के सदस्य रहे। आप राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर का दिनांक 19 अगस्त, 2017 को निधन हो गया।

राव कमलेन्द्र सिंह, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक राव श्री कमलेन्द्र सिंह का जन्म 10 जनवरी, 1938 को हुआ। आपने बी.ए. एवं एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

राव श्री कमलेन्द्र सिंह छठी, सातवीं तथा नौवीं विधान सभा में वल्लभनगर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। आप छठी एवं सातवीं विधान सभा में जनता पार्टी तथा नौवीं विधान सभा में जनता दल के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप विशेषाधिकार समिति, पुस्तकालय समिति, नियम उप समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, गृह समिति तथा कृषि, भेड़ एवं ऊन, मत्स्य, वक्फ तथा सैनिक कल्याण विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। आप सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति तथा प्राक्कलन समिति 'ख' के सभापति भी रहे। समाज सेवा में रुचि रखने वाले श्री सिंह लॉयन्स क्लब के सदस्य रहे।

(श्री अध्यक्ष)

राव श्री कमलेन्द्र सिंह का दिनांक 06 अगस्त, 2017 को निधन हो गया।

मेघराज तावड़, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री मेघराज तावड़ का जन्म 01 अगस्त, 1942 को उदयपुर जिले के जावरमाता ग्राम में हुआ। आपने रूरल सर्विसेज में डिप्लोमा किया।

श्री मेघराज तावड़ सातवीं विधान सभा में गोगुन्दा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति तथा यातायात, आश्वासन, रोजगार एवं प्राविधिक शिक्षा विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे।

समाज सुधार में रुचि रखने वाले श्री तावड़ राजस्थान आदिवासी समाज सुधार संघ के अध्यक्ष रहे। आपने वर्ष 1965 से 1975 तक नगर विकास न्यास में अपनी सेवाएं दीं। श्री तावड़ किसान महासभा के संयुक्त मंत्री तथा राजस्थान राज्य भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य भी रहे।

श्री मेघराज तावड़ का दिनांक 27 अगस्त, 2017 को निधन हो गया।

सूरज देवी, श्रीमती, पूर्व सदस्या

पूर्व विधायक श्रीमती सूरज देवी का जन्म 24 सितम्बर, 1932 को लाहौर (पाकिस्तान) में हुआ। आपने लुधियाना राजकीय कालेज से इंटरमीडिएट की उपाधि प्राप्त की।

श्रीमती सूरज देवी सातवीं राजस्थान विधान सभा में पुष्कर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस की विधायक निर्वाचित हुई। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप प्राक्कलन समिति, राजकीय उपक्रम समिति तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, आयुर्वेद विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति की सदस्य रहीं।

सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाली श्रीमती सूरज देवी पुष्कर मेला समिति तथा समान पारिश्रमिक सलाहकार समिति की सदस्य रहीं। आप राज्य नियोजन सलाहकार समिति तथा राजस्थान राज्य अल्प बचत

(श्री अध्यक्ष)

परामर्शदात्री मण्डल की सदस्य भी रहीं। श्रीमती सूरज देवी वर्ष 1981 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर तथा राज्य स्तरीय बाल बोर्ड की सदस्य रहीं।

श्रीमती सूरज देवी का दिनांक 25 मार्च, 2017 को निधन हो गया।

प्रभुलाल शर्मा, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री प्रभुलाल शर्मा का जन्म 1935 में बूंदी जिले के बसोली में हुआ। आपने मिडिल तक की शिक्षा प्राप्त की।

श्री प्रभुलाल शर्मा सातवीं राजस्थान विधान सभा में हिण्डोली निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस(आई) के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप पुस्तकालय समिति, अनुसूचित जाति कल्याण समिति, सामान्य प्रयोजन संबंधी समिति तथा खाद्य एवं आपूर्ति, गृह रक्षा दल व नागरिक सुरक्षा, देवस्थान विभाग की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे।

श्री प्रभुलाल शर्मा अपने सार्वजनिक जीवन में वर्ष 1958 में बसोली ग्राम पंचायत के उप सरपंच तथा लगभग 20 वर्षों तक इस ग्राम पंचायत के सरपंच रहे। आप पंचायत समिति, हिण्डोली के अध्यक्ष भी रहे। सहकारी क्षेत्र में सक्रिय रहे श्री शर्मा तेल-घानी सहकारी समिति, बसोली के मंत्री रहे। आप ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, हिण्डोली के अध्यक्ष तथा जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रहे। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रहे।

श्री प्रभुलाल शर्मा का दिनांक 16 मई, 2017 को निधन हो गया।

किशन सिंह भाटी, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री किशन सिंह भाटी का जन्म 1 जुलाई, 1938 को हुआ। आपने एम.ए. तथा एल.एल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री किशन सिंह भाटी छठी विधान सभा में जैसलमेर निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिये सदैव प्रयत्नशील रहे।

सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले श्री भाटी आदर्श सहकारी भंडार एवं पूनम सिंह बलिदान दिवस समिति के अध्यक्ष तथा दो सहायता प्राप्त विद्यालयों की कार्यकारिणी के सदस्य रहे। आप अकाल राहत एवं संघर्ष समिति के जिला मंत्री भी रहे।

(श्री अध्यक्ष)

श्री किशन सिंह भाटी का दिनांक 14 अगस्त, 2017 को निधन हो गया।

मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगतों के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को शान्ति प्रदान करे तथा उनके शोक-संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

खतौली (मुजफ्फरनगर) में उत्कल एक्सप्रेस रेल हादसे के मृतक

दिनांक 19 अगस्त, 2017 को मुजफ्फरनगर के पास खतौली में उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन के 14 डिब्बे पटरी से उतर गये। इस हृदय विदारक दुर्घटना में 32 से अधिक लोगों की मौत हो गयी तथा अनेक यात्री घायल हो गये।

मैं दुर्घटना में मारे गये लोगों की मृत्यु पर भी शोक प्रकट करता हूं तथा पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिये प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी)

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 24 अक्टूबर, 2017 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.43 बजे मंगलवार, दिनांक 24 अक्टूबर, 2017 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)